न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2020(2020/00306)

1.सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल
2.राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल
3.महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल
4.कंवरी बाई पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल
5.श्रीमति कल्पना पत्नि स्व0 महावीर प्रसाद
6.मनीष पुत्र स्व0 श्री महावीर प्रसाद
7.बब्बु उर्फ अनुपम पुत्र स्व0 श्री महावीर प्रसाद.
8.राजू उर्फ रजनी पुत्री स्व0 श्री महावीर प्रसाद
समस्त जातिगण ब्राहमण खण्डेलवाल निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्री नारायण पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाशचंद्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी प्रकाश कॉलोनी अजमेर रोड़ केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी माणक चौक केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. सीता पुत्री स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र शर्मा जाति ब्राहमण हाल निवासी चपरासी कोलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. दीपक शर्मा पुत्र जटाशंकर जाति ब्राहमण निवासी महात्मा ज्योति बा फुले सर्कल नेमीनाथ मार्बल के सामने बन्द कोटा (रामथला)रोड़ तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. बुद्धिप्रकाश पुत्र स्वर्गीय गोकल चंद जाति ब्राहमण निवासी सुन्दरविलास गली नंबर 01 दौलतबाग के सामने अजमेर जिला अजमेर
6. घनश्याम पुत्र स्वर्गीय गोकलचन्द जाति ब्राहमण हाल निवासी जी 25 जैन मंदिर वाली गली आर0के0कोलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकड़ी जिला अजमेर
8. उप पंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

उपस्थितः— श्री गोविन्द कुमार सोनी— प्रार्थीगण
श्री शिवप्रसाद पाराशर—अप्रार्थीगण
तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार—अप्रार्थी संख्या 07 व 08

आदेश

दिनांक १२.५.२१

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा केकड़ी की वादवर्णित आराजीयात के मिलान [illegible] प्रकार है:—

हाल		साकिब	
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	[illegible]	क्षेत्रफल
6124	0.34	1918	0.17
		1919	[illegible]
6213	0.17	2025	[illegible]
6221	0.26	2050	0.14
		2051	0.12

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उक्त वर्णित आराजीयात के खसरा नंबर 6124,6213,6221 के वर्तमान खसरा नंबर निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1257–373	6124	0.07	बारानी 1
	6213	0.03	बारानी 1
	6221	0.06	बारानी 1
3061–806	9146/6124	0.07	बारानी 1
	9155/6221	0.05	बारानी 1
	9168/6213	0.04	बारानी 1
1346–1160	9147/6124	0.04	बारानी 1
	9156/6221	0.05	बारानी 1
	9169/6213	0.04	बारानी 1
592–506	9148–6124	0.07	बारानी 1
	9157/6221	0.05	बारानी 1
	9170/6213	0.03	बारानी 1
2595–2296	9149/6124	0.07	बारानी 1
	9158/6221	0.05	बारानी 1
	9171/6213	0.03	बारानी 1

कुल किता 15 कुल रकबा 0.77

वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात है,जमाबंदी संवत् 2020–23 मे व वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 व 2058 के अनुसार भंवरलाल,घनश्याम,कैलाशचंद्र,बुद्धिप्रकाश, जटाशंकर पिता गोकलचंद ब्राहमण खण्डेलवाल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार भंवरलाल का निधन हो चुका है व वादीगण ही स्वर्गीय भंवरलाल के वारिसान है इसी प्रकार कैलाशचंद्र का निधन हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगातय 3 है। पूर्व खातेदार भंवरलाल,घनश्याम,कैलाशचन्द ,बुद्धिप्रकाश, जटाशंकर के मध्य पूर्व दिनांक 15.05.1987 को भाई बॅटवारा हो चुका था। जिसके अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात भंगवान बालाजी के रहना तय किया गया था। वर्तमान मे अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 बदनीयति के कारण पूर्व मे किये गये भाई बंटवारे की अवहेलना करते हुए अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के लिए आमादा हो रहे है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 यह जानते हुए कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व मे ही भाई बंटवारे से भगवान बालाजी को देना तय किया गया था। इसके उपरांत भी अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 उक्त वर्णित आराजीयात अपने नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज होने का फायदा उठाते हुए अवैध व गलत रूप से उक्त वर्णित आराजीयात को बेचने के लिए कटिबद्ध हो रहे है। दिनांक 05.10.2020 को प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 अवैध रूप से बेचने को आमादा है तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक रोका जाना आवश्यक व न्यायहित मे होगा। प्रकरण की एकपक्षीय सुनवाई कर, प्रार्थीगण के अभिभाषक की प्रार्थना पर प्रार्थीगण के पक्ष मे [illegible] के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित किया जाकर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया।

प्रकरण श्रवणार्थ [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण ने बताया कि दिनांक 15.05.1987 को भंवलाल,घनश्याम, बुद्धिप्रकाश,कैलाशचन्द व जटाशंकर जी के मध्य किसी प्रकार का कोई पूर्ण पारिवारिक बॅटवारा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा समझौता हुआ जिसके आधार पर कोई बॅटवारा किया गया हो। आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर पुराने 1918,1919,2025,2050,2051 के नवीन खसरा नंबरान का आपसी सहमति से दिनांक 17.03.2011 को विधिवत् रूप से बंटवारा कर लिया गया था तथा बंटवारे के पश्चात अपने अपने हिस्से मे आयी कृषि भूमियां प्रत्येक पक्षकारो के अपने अपने कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य मे चली आ रही है। बंटवारा आपसी सहमति से विधिवत रूप से किया गया था। जो किसी भी पक्षकार द्वारा बंटवारा बाबत् किसी प्रकार का कोई आपत्ति एतराज नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को भगवान बालाजी के रखने के आरोप बेबुनियाद है। यहां यह कहना उचित होगा कि उभयपक्षकारों के मध्य बालाजी की सेवा पूजा हेतु खसरा नंबर 6183 रकबा 0.25 हैक्टर तमाम आराजीयात के बराबर बंटवारे के बाद प्रार्थीगण के हिस्से मे इस आशय के साथ रखी गई थी,कि प्रार्थीगण बालाजी की सेवा पूजा करते रहेगे। व सेवा पूजा के बदले संयुक्त रूप से खसरा नंबर 6183 एकमात्र प्रार्थीगण के हिस्से मे रख दिया था तथा शेष आराजीयात का बंटवारा विधिवत रूप से मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत कर लिया गया था। प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त आराजीयात बालाजी के रखे जाने के आरोप कतई निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से व अप्रार्थीगण को नाजायज नुकसान पहुंचाने के दुराशय से झूठा वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतिरिक्त कथन मे बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे स्वामित्व की आराजीयात थी। जिसका आपसी सहमति से सन् 2011 मे मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवारा किया जाकर खाते अलग अलग कायम कर दिये गये। बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से अनुसार आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य मे चली आ रही है। बंटवारा हुए लगभग दस वर्ष हो चुके है। अतः प्रार्थीगण का दावा/ प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। प्रार्थीगण ने नाजायज हैराव व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। सभी पक्षकारान का जवाब प्रस्तुत होने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रांरभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित दिनांक 15.05.1987 को आराजी का बंटवारा पक्षकारान मे हो चुका है सभी पक्षकारान आपस मे संगे भाई थे। बंटवारा स्टाप्प पत्र पर नीति पत्र लेखक द्वारा लिखा गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थायी आदेश को मूल वाद के निस्त्वारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को स्थायी कर दिया जावे। अप्रार्थीगण के लायक वकील श्री शिवप्रसाद पाराशर ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि दिनांक 17.03.2011 को विभाजन आपसी सहमति से हो चुका है अतः इस विभाजन के अनुसार पक्षकारान आरजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बालाजी मंदिर कोई सार्वजनिक स्थान पर नही होकर उभयपक्षकारान के घर मे ही स्थापित है। अप्रार्थीगण उस पुश्तैनी घर से अन्यन्त्र निवास करने से बालाजी मंदिर की सेवा पूजा करने मे असमर्थ होने से ही खसरा नंबर 6183 प्रार्थीगण के हिस्से मे रखे गये थे। प्रार्थीगण उस पुश्तैनी आवासीय मकान मे निवास कर रहे है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि सहमति विभाजन से नामा0 संख्या 918 दिनांक 17.03.2011 से खसरा नंबर 6124/5 रकबा 0.07,ख.नं.6213/05 रकबा 0.03,ख.नं. 6221/05 रकबा 0.05,सत्यनारायण ,राजेन्द्र,महेन्द ,कंवरीबाई पिता भंवरलाल,भंवरी पत्नि भंवरलाल ,कल्पना पत्नि महावीर ,मनीष,बबलू, राजू पिता महावीर कौम ब्राहमण के नाम,,खसरा नंबर 6124/04 रकबा 0.07,ख.नं. 6213/4 रकबा 0.03 ,ख.नं.6221/4 रकबा 0.05, घनश्याम पिता गोकल कौम ब्राहमण, खसरा नंबर 6124/3 रकबा 0.06,खसरा नंबर 6213/2 रकबा 0.04,खसरा नंबर 6221/2 रकबा 0.05 बुद्धिप्रकाश पिता गोकल कौम ब्राहमण,ख.नं.6124/1 रकबा 0.0[illegible]6213/5 रकबा 0.04,ख.नं.6221/3 रकबा 0.05 हैं0 जटाशंकर पिता गोकल कौम ब्राहमण खसरा नंबर 6124/2 रकबा 0.07खं.नं.6213/1 रकबा 0.03,ख.नं. 6221/1 रकबा 0.06, गट्टू पत्नि कैलाश,बद्री[illegible]ण, मोहनलाल,सीता पि0 कैलाश ब्राहमण के नाम अंकित है। अतः रेकार्डेड खातेदार [illegible] निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाकर [illegible]गण का प्रार्थना पत्र बाबत् मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे, तथा दिनांक 19.10.2020 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधााज्ञा आदेश का निरस्त किया जाना फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 83/2020(2020/00306)
सत्यनारायण वगै0 बनाम बद्रीनारायण वगै0
आदेश दिनांक

मैने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण मे न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि प्रार्थीगण अस्थाई निषेंधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीन सारभूत बिन्दु अपने पक्ष मे साबित कर पा रहे है अथवा नही ? प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति ? वर्तमान मे प्रश्न गत खसरा नंबरान अलग अलग खातेदारान के नाम है। सहमति विभाजन से अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज है। खसरा नंबर 6124/04 रकबा 0.07,ख.नं. 6213/4 रकबा 0.03 ,ख.नं.6221/4 रकबा 0.05, घनश्याम पिता गोकल कौम ब्राहमण, खसरा नंबर 6124/3 रकबा 0.06,खसरा नंबर 6213/2 रकबा 0.04,खसरा नंबर 6221/2 रकबा 0.05 बुद्धिप्रकाश पिता गोकल कौम ब्राहमण,ख.नं.6124/1 रकबा 0.07,ख.नं. 6213/5 रकबा 0.04,ख.नं.6221/3 रकबा 0.05 है0 जटाशंकर पिता गोकल कौम ब्राहमण ,खसना नंबर 6124/2 रकबा 0.07खं.नं.6213/1 रकबा 0.03,ख.नं. 6221/1 रकबा 0.06, गट्टू पत्नि कैलाश,बद्रीनारायण, मोहनलाल,सीता पि0 कैलाश ब्राहमण के नाम अंकित है। अतः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति होना प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। प्रश्न गत भूमि पर प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरा0टी0एक्ट का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अतिम निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे बाद शहादत तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner